FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर एंव S.D.O. मुकाम बायतु

आदुराम बनाम जोगाईराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा॰ का॰ अधि॰ 111,120 RLRAct नं. 176/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/07/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री किशनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 120 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08/09/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
08/09/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेत तेरा सेठ भागे हुए है। खेतों के बिच जो पुरानी मार्ग कायम हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के मेडों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है व प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा खेत के मेडे को लेकर तनाजा बना रहता है। इसलिए प्रार्थी को नेथमबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेथमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेथमबन्दी कायम किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेथमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व सम्बंधित ...	

[signature] 8.9.2020

सहायक कलक्टर (SDO)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:19:54 IST
Reason: SelfAttested

निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की पैमाइशबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
[illegible]

न्याया
...मांक / आवेदन /
...राजस्व आवेदन
प्रा...

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:19:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक/आवेदन/2020/ 573 दिनांकः– 08/09/2020

राजस्व आवेदन संख्या –176/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री आदूराम पुत्र कानाराम वगैरा 08 जाति–मेघवाल निवासी–निम्बा की ढाणी, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर		श्री गोसाईराम पुत्र खेताराम वगैरा 07, निवासी–निम्बा की ढाणी, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–निम्बा की ढाणी, पटवार मण्डल–सोहड़ा, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 173 रकबा 136.09 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा करवाकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः–08/09/2020

क्रमांक/आवेदन/2020/ 574-578

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, सोहड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री आदूराम पुत्र कानाराम वगैरा 08।
4. विप्रार्थीगण श्री गोसाईराम पुत्र खेताराम वगैरा 07
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:19:54 IST
Reason: SelfAttested